Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

Manual Scavenging as a Violation of Human Dignity and Caste-Based Discrimination: A Sociological Study with Special Reference to Mainpuri District

मैला ढोना मानव गरिमा का उलंघन एवं जाति आधारित भेदभाव समाजशास्त्रयी अध्ययन मैनपुरी जिले के सन्दर्भ में

Sarika Singh [1]*, Dr. Ishwar Swaroop Sahay [2]

[1] Research Scholar, Department of Sociology, Dayalbagh Educational Institute, Agra, Uttar Pradesh, India (Deemed University), Dayalbagh Educational Institute

[2] Supervisor, Dayalbagh Educational Institute, Agra (Deemed University), Dayalbagh Educational Institute

Corresponding Author: * Sarika Singh

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21873186

सारांश

Manual scavenging remains a serious problem in contemporary society despite the enactment of various legislative measures aimed at its eradication. This research paper examines the socio-economic and cultural factors that perpetuate the practice of manual scavenging, evaluates the effectiveness of existing policies, and proposes strategies for its sustainable eradication and the rehabilitation of affected communities. Adopting a mixed-methods approach, the study combines qualitative interviews with activists, policymakers, and manual scavengers with quantitative data analysis based on reports from government and non-governmental organisations. Statistical methods are employed to analyse the prevalence and health impacts of manual scavenging, while thematic analysis of interview data provides insights into individual experiences and systemic issues. This comprehensive approach seeks to capture the complex nature of manual scavenging and the challenges associated with its elimination.

The findings of the study indicate that factors such as health, safety, economic well-being, compensation, and technological advancement are of critical importance, and that the government can play a significant role in addressing issues related to these dimensions. Furthermore, substantial improvements can be made in quality-of-life indicators such as sanitation and housing. Although most workers expressed dissatisfaction with existing government policies, they reported relatively satisfactory access to basic facilities such as cooking fuel, electricity, and bank accounts. The study therefore highlights the need for stronger policy implementation, improved rehabilitation measures, technological interventions, and sustained institutional support to ensure the complete eradication of manual scavenging and the restoration of dignity and livelihood opportunities for affected communities.

मैला सफाई आज भी समकालीन समाज में एक गंभीर समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि इसे समाप्त करने के लिए विधायी किए गए हैं। यह शोध पत्र उन सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की जांच करता है जो मैला

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 10-11-2025
- ✓ **Accepted:** 26-12-2025
- ✓ **Published:** 30-12-2025
- ✓ **MRR:3(12):**2025;184-192
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

Singh S, Sahay I S. मैला ढोना मानव गरिमा का उलंघन एवं जाति आधारित भेदभाव समाजशास्त्रयी अध्ययन मैनपुरी जिले के सन्दर्भ में. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(12):184-192.

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सफाई की प्रथा को बनाए रखते हैं, वर्तमान नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और प्रभावित समुदायों के सतत उन्मूलन तथा पुनर्वास के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित करता है। मिश्रित विधि दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन गुणात्मक साक्षात्कारों को कार्यकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और मैला सफाई करने वालों के साथ तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टों से मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के साथ जोड़ता है। अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके प्रसार और स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, और साक्षात्कार डेटा के विषयगत विश्लेषण के माध्यम से व्यक्तिगत अनुभवों और प्रणालीगत मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। यह सर्वसमावेशी विधि हाथ से मैला सफाई की जटिल प्रकृति को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक कल्याण, मुआवज़ा, तकनीकी उन्नति जैसे मानदंडों का अत्यधिक महत्व है, जहाँ सरकार इन मानदंडों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसके अलावा, जीवन-स्तर' के मानदंडों जैसे स्वच्छता' और आवास' में पर्याप्त सुधार किया जा सकता हैं। यदापि अधिकतर श्रमिक सरकारी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उन्हें खाना पकाने के ईधन, बिजली, बैंक खाते आदि जैसी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नजर नहीं आती।

KEYWORDS: Manual Scavenging, Rehabilitation of Sanitation Workers, Occupational Health and Safety, Human Rights and Social Justice, Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013.

1. प्रस्तावना

"मैं मांस और हड्डियों, रेशा और द्रव पदार्थों से बना एक मनुष्य हूँ, और यह भी कहा जा सकता है कि मेरे पास मन भी है। मैं अदृश्य हूँ, केवल इसलिए क्योंकि लोग मुझे देखना नहीं चाहते। मैं अदृश्य हूँ, समझते हैं, केवल इसलिए क्योंकि लोग मुझे देखना नहीं चाहते।"

राल्फ एर्लिसन, द इनविज़िबल मैन, 1952

मैला सफाई को उस पेशे के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहाँ श्रमिक सफाई के उद्देश्य से सेप्टिक टैंकों या मैनहोलों के अंदर उतरते हैं। जहरीली गैसों और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह श्रमिकों के लिए एक व्यावसायिक खतरा बन जाता है। यह समस्या खुले आम दिखाई देती है, जिसे हितधारकों की ओर से असंवेदनशील उदासीनता के रूप में वर्णित किया गया है। इसे अछूतपन की सबसे बदतर जीवित रहने वाली स्थिति और श्रमिकों की लगातार मौतों के कारण मुख्यधारा की खबरों की सुर्खियाँ बनने वाला मुद्दा कहा गया है।

संसद ने नियमित रूप से मैला सफाई की प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बनाए है। 1955 के नागरिक अधिकार अधिनियम से लेकर 2013 के **'मैला सफाई करने वालों के रूप में रोजगार के निषेध एवं उनके पुनर्वास अधिनियम'** तक का कानूनों का क्रम इस निरंतर समस्या की संस्थागत स्वीकृति को दर्शाता है।

सर्वोच्च न्यायालय उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जैसा कि **'सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ'** मामले में देखा गया। गैर-सरकारी संगठन (NGO), नवप्रवर्तक और मुकदमा लड़ने वाले वकीलों जैसे निजी हितधारकों ने इन श्रमिकों की गरिमा बहाल करने में नेवृत्व किया है। सेप्टिक टैंक में मौतों की हालिया रिपोर्टस इस मैला सफाई कर्मियों की दुर्दशा, जिसमें संस्थाएँ सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने में विफल रहती है। इसलिए जब किसी राष्ट्र की शासकीय संस्था असफल होती है, तो राज्य की अक्षमता का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2013 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में इन कानूनों का सामूहिक परीक्षण, जो अब अपने दसवें वर्ष में है, हाल के वर्षों में इस प्रथा के विकास और निरंतरता को राष्ट्र रूप को समझने में सहायक होगा।

कार्यप्रणाली :इस अध्ययन का उद्देश्य मैनपुरी में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रचलतता का मूल्यांकन करना और इससे सम्बन्धित कानूनी एवं नीतिगत ढ़ांचे की जांच करना है।

यह अध्ययन मैनुअल स्कैवेंजिंग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर आधारित है। "मैला ढोने वालों एवं शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, किन्तु "मैला सफाई कर्मियों के रोजगार के निषेध एवं उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013" द्वारा प्रतिबंधों को और सशक्त किया गया तथा पुनर्वास उपायों को शामिल किया गया। इन अधिनियमों की गहन समीक्षा के माध्यम से, यह शोध मैनुअल स्कैवेंजिंग की वर्तमान स्थिति की आलोचनात्मक जांच प्रस्तुत करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा सम्बन्धी मात्रात्मक और गुणात्मक आकड़ें प्राप्त करने के लिए मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया। इसमें प्रायोगिक निष्कर्ष, अधिनियमों का अध्ययन, स्वतन्त्र साहित्य की समीक्षा एवं आधिकारिक रिपोटों का विश्लेषण, हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद और प्रमुख सूचनादाताओं में साक्षात्कार शामिल हैं। मुख्य सूचनादाताओं में एक गैर सरकारी संगठन उद्देश्यपरक नमूना चयन (Purposive Sampling) का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में ऐसी 11 मैनुअल स्कैवेंजर्न्स से सम्पर्क किया गया जो इस प्रथा में सक्रिय रूप से शामिल थे। अर्थ-संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करते हुए, स्नोबॉल सैंपलिंग द्वारा पहुंचे गए साक्षात्कारों के माध्यम से इस प्रथा की जमीनी हकीकत को समझा गया। इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन के माध्यम से सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यक आंकड़े एकत्र किए गए, जिससे इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों की समझ और बेहतर हुई।

इसके साथ ही, कानूनों, आधिकारिक दस्तावेजों, ऑनलाइन संसाधनों एवं प्रतिष्ठित संगठनों की रिपोटों को समाहित एक व्यापक साहित्य समीक्षा से इस मुद्दे की गहन समझ विकसित हुई।

मैनुअल स्कैवेजिंग कौन है?

मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा समय के साथ परिवर्तित हुई है। प्रारम्भ में, 1993 के अधिनियम के तहत इसे "मैला ढोना" अर्थात् मानव मल की सफाई तक सीमित माना गया था, जिसमें सेप्टिक टैंकों, मैनहोलों एवं सीवरों की मैनुअल सफाई शामिल थी। इस कार्य से संबंधित अन्य सभी

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

गतिविधियाँ सामान्यतः इस परिभाषा के अंतर्गत आती थीं। इस परिवर्तन को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1: परिभाषाएँ

स्रोत	परिभाषा
मैला ढोने वालों एवं शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993	'मैनुअल स्कैवेंजिंग' का अर्थ है वह व्यक्ति जो या जिसे मानव मल को मैनुअल रूप से उठाने में लगाया गया हो या नियोजित किया गया हो, और 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' का अर्थ है ऐसे शौचालयों या शुष्क शौचालयों का निर्माण जिनका निर्माण निर्धारित अनुसार किया गया हो।
2013 के अधिनियम की धारा 2(ग) हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास का अधिनियम	'हाथ से मैला ढोने वाला' से आशय उस व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के लागू होने के समय या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा अस्वच्छ शौचालयों की मैन्युअल सफाई करने, उन्हें साफ करने, उठाने, ढोने, निपटाने या किसी अन्य प्रकार से संभालने के लिए नियोजित या नियुक्त किया गया हो या रेलवे ट्रैक पर, जहाँ मानव मल पूरी तरह विघटित होने से पहले पड़ा हो, उसे निकालने के लिए नियोजित किया गया हो।
2013 के अधिनियम की धारा 2(घ) हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास का अधिनियम	'खतरनाक सफाई' से आशय किसी कर्मचारी द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक की हाल में सफाई से है, जिसमें नियोक्ता द्वारा उस कर्मचारी की सुरक्षा उपकरण एवं अन्य सफाई उपकरण उपलब्ध कराने तथा सुरक्षा सावधानियों के पालन की अपनी अनिवार्यताओं का निर्वहन नहीं किया जाता।

'सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीवर कर्मियों और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के बीच व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रकार के कार्य श्रमिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तथा उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

हमारे अवलोकन बहुआयामी और विविध हैं। ये गरीबी, जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और कल्याण, कार्य के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक निगरानी की कमी, सुधारात्मक उपायों, न्याय वितरण प्रणाली और इन प्रमुख विषयों से संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित हैं। अतः इन निष्कर्षों को छः व्यापक श्रेणियों में व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है, जहाँ प्रत्येक श्रेणी के प्रमुख पहलुओं पर संक्षेप में निम्न प्रकार से चर्चा की गई है।
निष्कर्ष छः व्यापक आधारों पर हैं, अर्थात-

- सामाजिक समस्याएँ
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- आर्थिक कल्याण
- मुआवजा
- राज्य द्वारा जागरुकता (संज्ञान)
- (तकनीकी प्रगति)

हमारा अध्ययन श्रमिकों के कल्याण और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के निर्माण करने वाले कारकों के बीच संबंध की और विस्तृत रूप से अन्वेषण करता है। यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित एक रूपरेखा है।

सामाजिक मुद्दे :

हमारे अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि यद्यपि समाज में विद्यमान सामाजिक कारकों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, फिर भी सामाजिक पिछड़ेपन की कलंकित धारणा आज भी विद्यमान है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे सर्वेक्षण में सम्मिलित श्रमिक केवल एक ही जाति से नहीं थे। अधिकांश लोग निम्न जातियों से संबंधित थे और उनका अनुभव है कि सामाजिक बहिष्कार की स्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में 'आनंद' नामक एक श्रमिक ने बताया कि गाँवों में, विशेषकर अपने पैतृक निवास स्थान पर, समुदाय को शहरों की तुलना में अधिक तीव्र भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक विशेषज्ञ प्रो. एन. सुकुमार ने व्याख्या की कि ऐसे समुदायों को इस प्रकार से कलंकित किया गया है कि मैनुअल सफाई (मैला ढोना) जैसे कार्य से बाहर निकलने के बावजूद भी उनके प्रति समाज की धारणा नहीं बदलती। उन्हें समाज में आत्मसात होना कठिन प्रतीत होता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव हो जाती है। मैला सफाई की प्रथा सामाजिक अन्याय की कटु वास्तविकता को प्रकट करती है।

1. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा :

अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश मामलों में श्रमिकों को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। सभी हितधारकों का मानना है कि श्रमिक प्रायः बाल्टी, झाड़ू और फावड़े जैसे हाथ से चलने वाले औज़ारों का प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करने वाले श्रमिक संक्रामक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चित्र 1 में उन श्रमिकों की संख्या प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें उनके नियोक्ता से किसी प्रकार की सुरक्षा सहायता प्राप्त हुई थी। लगभग 72% अर्थात् 11 में से 8 श्रमिकों को कोई भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया,

और उनमें से अधिकांश ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया। नियोक्ता इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराने में विशेष रूचि नहीं दिखाते और वे प्रायः वित्तीय संसाधनों की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हैं।

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

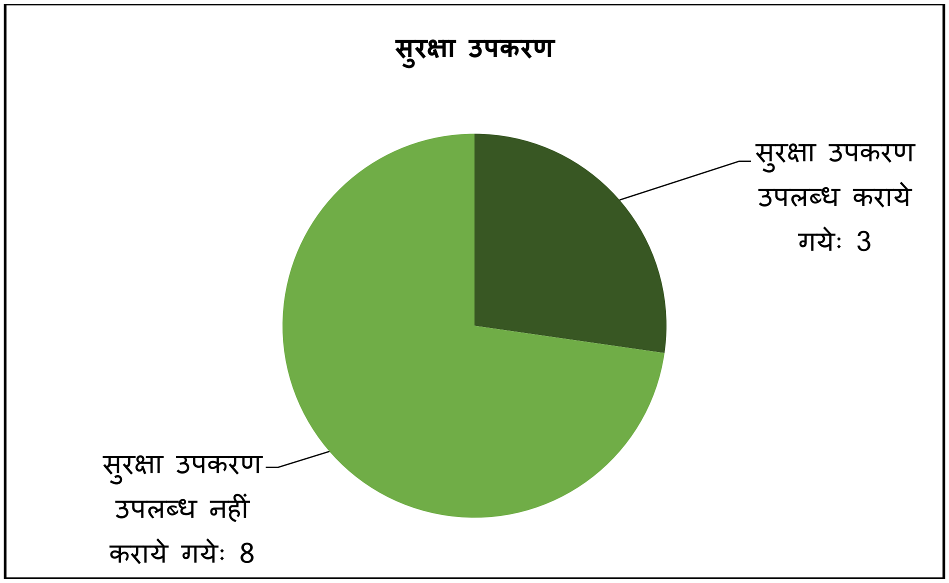

चित्र 1 : सुरक्षा उपकरण

चित्र से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में शामिल 11 श्रमिकों में से केवल 3 श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए। यह भी उल्लेखनीय है नियोक्ता आमतौर पर अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति चिन्तित नहीं रहते।

तालिका 2 : केस अध्ययन-1

केस अध्ययन 1 (स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरण) - संदीप और नंदू	
पृष्ठभूमि	**मुख्य निष्कर्ष**
संदीप और नंदू बचपन से ही मैला सफाई का कार्य कर रहे हैं, जिसमें सीवर टैंकों की मैनुअल सफाई करना शामिल है, और कभी-कभी निजी नौकरियों भी करते हैं। संदीप और नंदू दोनों को एक ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किया गया, जो बदले में लोक निर्माण विभाग से ठेका लेकर कार्य करता है। अपने कार्य के दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे- सीवर टैंकों में प्रवेश करते समय सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षात्मक गियर की अनुपस्थिति, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य जहरीली गैसों और दुर्गंध का संपर्क होता है। इसके अतिरिक्त, इन जहरीली गैसों को सांस के साथ अंदर लेने के बाद बीमार पड़ने पर भी उन्हें कोई उपचार नहीं मिलता। उनका मानना है कि वैकल्पिक आजीविका के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को इस पेशे से दूर रखना चाहते हैं। *गोपनीयता के लिए नाम बदले गए हैं*	• सुरक्षा उपकरणों की पूर्ण अनुपस्थिति। उपकरणों की कमी के कारण संक्रामक बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। वर्तमान स्थिति असहाय और अनिश्चित भविष्य की ओर संकेत करती है।

तालिका 3 : केस अध्ययन-2

केस अध्ययन 2 (कार्यकर्ता की स्थिति) - शीला	
पृष्ठभूमि	**मुख्य निष्कर्ष**
शीला, 50 वर्ष की एक कचरा बीनने वाली महिला है। पहले वह अपने दिवंगत पति के साथ मैनुअल मैला सफाई का कार्य करती थी, जो 10 माह पहले शराब की लत के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवा बैठे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद, वह एक समाज के सदस्य के रूप में अपने बच्चों के साथ कार्य जारी रखे हुए हैं। वह सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर की सफाई की खतरनाक परिस्थितियों को याद करती है और अपने पति की पेंशन में देरी को लेकर निराशा व्यक्त करती हैं। वह घृणित परिस्थितियों में सीवर की सफाई के अपने अनुभव साझा करती हैं जिसमें लगातार दुर्गंध के कारण तीन दिन तक भोजन करना संभव नहीं होता है।	• त्वचा रोग और रासायनिक पदार्थों का दुष्प्रभाव। • सुरक्षा उपकरणों की अनुपस्थिति। • जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। • बच्चों के भविष्य की चिंता।

2. आर्थिक स्थिति (आर्थिक कल्याण)

जबकि श्रमिकों की सामाजिक स्थिति पहले से ही निम्न स्तर की है, आर्थिक स्तर पर भी स्थिति उनके पक्ष में नहीं है।

तालिका 4 : केस अध्ययन- 3

केस अध्ययन- 3 (मजदूरी की स्थिति) : रमेश, सुनीता और तरुण	
पृष्ठभूमि	**मुख्य निष्कर्ष**
रमेश, सुनीता और तरुण, जो पिछले 15 से 20 वर्षों से मैला सफाई का कार्य कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग	• पीडब्लयूडी के माध्यम से नियोजित।

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(पीडब्ल्यूडी) के एक ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं। उन्हें अनियमित मजदूरी मिलती है, जो ₹ 15,000 से 16,000 प्रति माह के बीच होती है। सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण उन्हें खतरनाक गैसों के संपर्क में आने की समस्या होती है। पहले उन्हें भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) मिलती थी, लेकिन अब यह लाभ बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की अनदेखी और ठेकेदार द्वारा धमकियों का सामना करते हुए, वे नियमित वेतन और भविष्य निधि की दोबारा बहाली की मांग करते हैं। अपने बच्चों के जीवन से इस चक्र को समाप्त करने के लिए, वे वैकल्पिक आजीविका की तलाश में है, जिसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण और स्थायी अवसर मिल सकें। रुचिकर बात यह है कि वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जो मैला सफाई के कार्य में लगे। *गोपनीयता हेतु नाम परिवर्तित किए गए है*	• अनियमित भुगतान और भविष्य निधि (पीएफ) जैसे कर्मचारी लाभों का बंद होना। सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ विकसित हुई। बेहतर रोजगार की तलाश की इच्छा।

श्रमिकों के कल्याण का विश्लेषण ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के मानकों के आधार पर किया गया है। इसके मूल मानकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-यापन का स्तर शामिल है।

हमारे अवलोकन एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ नियोक्ता स्वास्थ्य और स्वच्छता को द्वितीयक चिंता के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश श्रमिकों ने बचपन में इस कार्य को शुरू किया, जिससे आवश्यक शैक्षिक वर्षों का नुकसान हुआ। हालांकि, शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 के पारित होने के साथ, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है, जिससे स्कूल जाने वाले वर्षों और स्कूल उपस्थिति जैसे तत्व जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) की गणना में आवश्यक उप-मापदंड हैं, में सुधार हुआ है।

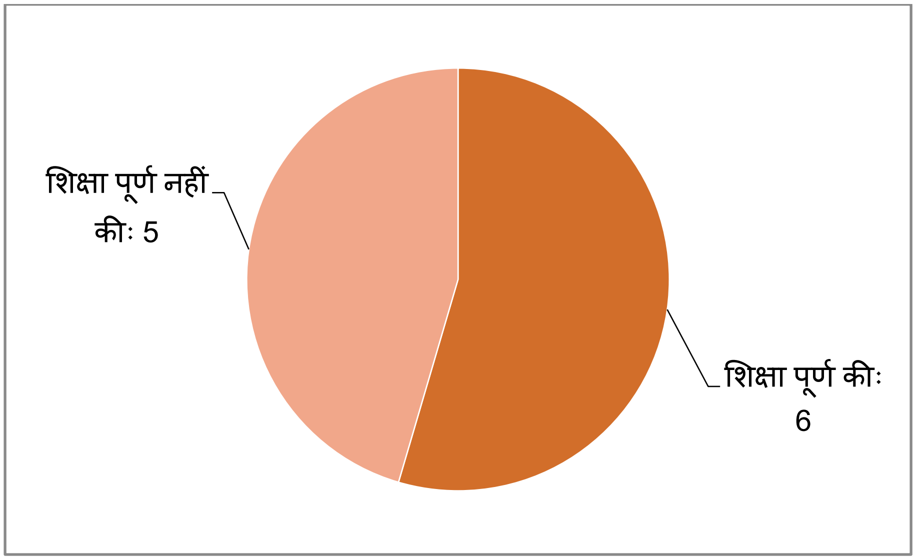

चित्र 2 : प्राथमिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या

चित्र 2 के अनुसार यह चिंताजनक है कि जिन 11 सफाई कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया, उनमें से केवल 6 कर्मचारियों ने ही प्राथमिक स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी की थी।

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

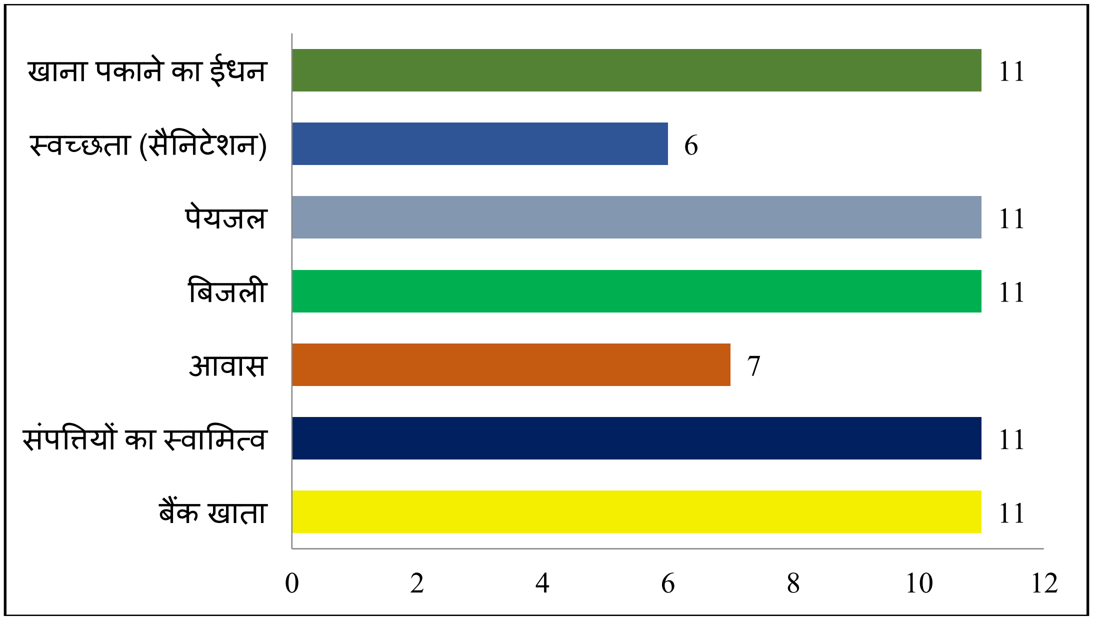

चित्र 3 : जीवन स्तर के मानक

जीवन स्तर के मानकों के आधार पर प्राप्त परिणाम मिश्रित रहे। खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, बिजली, संपत्तियों का स्वामित्व तथा बैंक खाते जैसे मानकों में सभी 11 कर्मचारियों ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसके विपरीत स्वच्छता (सैनिटेशन) के मामले में केवल 6 कर्मचारी संतुष्ट पाए गए, जबकि आवास के संदर्भ में केवल 7 कर्मचारियों ने सकारात्मक उत्तर दिया। कुछ कर्मचारी अस्थायी झोपड़ीनुमा एवं जर्जर मकानों में रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा स्वच्छता एवं आवास सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इन कर्मचारियो का जीवन स्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है।

3. राज्य द्वारा मान्यता

भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में राज्य पर कुछ दायित्व और सीमाएँ निर्धारित की गई है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद-17 अर्थात् 'अछूतता का उन्मूलन' तथा अनुच्छेद-21 अर्थात् 'जीवन और व्यकिगत स्वतंत्रता का अधिकार' संबंधित प्रावधानों को लागू करें। तथापि, क्रियान्वयन की स्थिति उपेक्षित ही बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। विधि विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भी एक उपेक्षित निकाय है, जहाँ अब तक कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

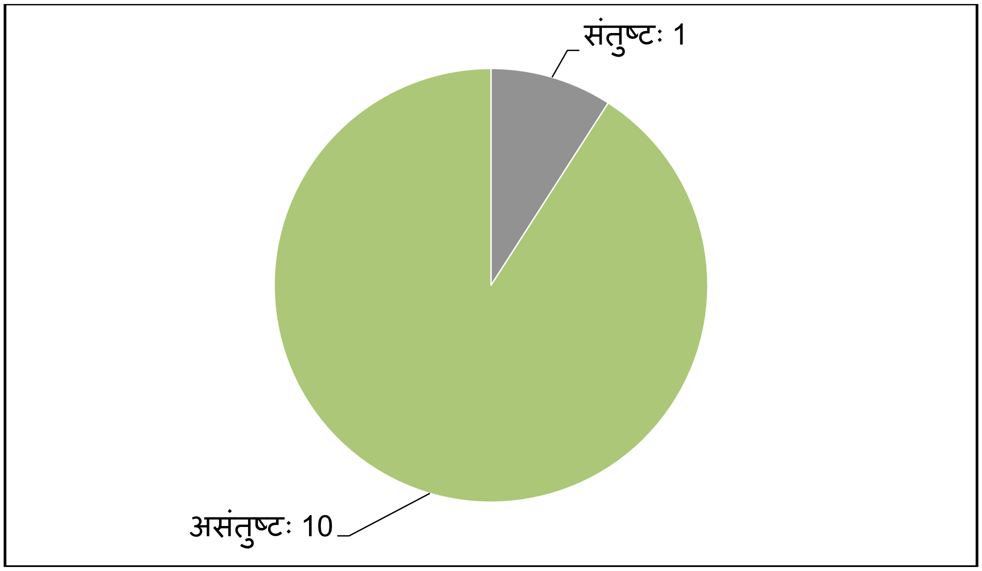

चित्र 4 : सरकारी नीतियों से संतुष्ट/असंतुष्ट श्रमिकों की संख्या

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हमने जिन सभी हितधारकों, जैसे- गैर-सरकारी संगठन (NGO), विधि विशेषज्ञ, श्रमिक आदि से साक्षात्कार किया, उनमें से केवल एक व्यक्ति ही सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता से संतुष्ट था। शेष सभी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस मुद्दे के संबंध में अपनी असंतुष्टि व्यक्त की और चल रही कल्याणकारी योजनाओं से अनजान थे। निम्नलिखित केस अध्ययन के कार्यकर्ता को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं थी।

तालिका 6 : केस अध्ययन-4

केस अध्ययन-4 (कानूनी जागरूकता का अभाव)- अरुण	
पृष्ठभूमि	**मुख्य निष्कर्ष**
अरुण विभिन्न होटलों में सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की सफाई के कार्य में लगे एक ठेकेदार के लिए काम कर रहे थे। उन्हें कार्य के लिए नियमित रूप से भुगतान मिलता था। हालांकि, उन्हें पता नहीं था कि यह प्रथा 2013 से समाप्त की जा चुकी है। उन्होंने मैनुअल मैला सफाई कर्मियों के बीच कानूनी जागरूकता की कमी का हवाला दिया। उनका कहना है कि सरकार निजी क्षमता में यह प्रथा होने पर संज्ञान नहीं लेती है। हालांकि, कार्य के लिए उन्हें उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे।*गोपनीयता के लिए नाम बदले गए है*	2013 में अधिनियमित अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में कानूनी जागरुकता का अभाव। • सरकार की निष्क्रियता। • उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए थे।

इस अध्ययन का समालोचनात्मक विश्लेषण :

वर्ष 2013 का अधिनियम इस प्रथा को समाप्त करने के लिए संसद की सामान्य मंशा को सुदृढ़ करता है। इस अधिनियम के रूप में नीति निर्णय, हितधारकों की स्थिति के साथ मिलकर, इस प्रथा को महत्वपूर्ण रूप से प्रतोत्साहित करता है। अधिनियम की धारा-8 में दंड का प्रावधान है।

"धारा-5 या धारा-6 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को प्रथम उल्लंधन पर, कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना जो पचास हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा और किसी भी पुनरावृति उल्लंघन पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना, जो एक लाख रूपये तक हो सकता है या दोनों से।" यह दंड आपराधिक विधि में एक लघु अपराध की तुलना में भी कम है। इसका तात्पर्य यह है कि मैनुअल स्कैवेजर्स को नियोजित करने का अपराध और इस प्रकार मानव जीवन को खतरे में डालना, चोरी की तुलना में अधिक सामन्य अपराध की तरह की स्थिति रखता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु के हाल के आंकडे अधिनियम में निर्धारित दंड के न्यूनतम प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। मृत्यु आंकडे पूर्णतः सजा दरों के साथ असंगत हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संसदीय स्थायी समिति की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में केवल एक दोषसिद्धि का उल्लेख किया गया है।

अधिवक्ता अरीब उद्दीन मौजूद कानूनी खामियों को संबोधित करते हैं ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। वे बताते है कि मृत्यु पर दर्ज एफआईआर निजी ठेकेदार के खिलाफ की जाती है, मूल नियोक्ता के खिलाफ नहीं। इसके अलावा, सजा लापरवाही से आगे नहीं बढ़ती। जब कोई श्रमिक सेप्टिक टैंक में उतरता है, तो यह पहले से ही मृत्यु के जोखिम में होता है। संभावित मृत्यु के ज्ञान के साथ हुई मृत्यु, अपराधी हत्या (culpable homicide) का मामला बनाती है। हालांकि, आरोपित को इस रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाता। कई बार, आरोपित ठेकेदार पुलिस अधिकारी को रिश्वत दे देता है, जिससे एफआईआर दर्ज ही नहीं होती।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थिति एक गैर-कानूनी निकाय में गिरा दी गई है। जब भी मैनुअल स्कैवेजिंग के मामले सामने आते है, आम तौर पर एक ज्ञापन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। हालांकि, अधिकांश मामलों में यह ज्ञापन निरन्तरता प्राप्त कर लेता है और कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं होती।

मुआवज़ा :

मैला ढोने के कार्य के दौरान होने वाली मृत्यु के मामलों में मुआवज़े का प्रावधान **सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ (2003)** के निर्णय में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस निर्णय के अनुसार, सीवर अथवा सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को ₹10 लाख का मुआवजा दिया जाना था। बाद में **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2023)** मामले में इस राशि को बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया। इसके बावजूद, अधिकांश परिवार मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचते हैं, जबकि यह उनके लिए न्यूनतम अधिकार है। यही कारण है कि ऐसे बहुत कम मामलों में न्याय मिल पाता है।

सुझाव :

सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई एक प्रचलित प्रथा है और इसकी जड़ें समाज की बुनियादी नींवों में गहरी हैं। हालांकि यह प्रथा कभी वैश्विक स्तर पर रही, लेकिन वर्तमान में यह मुख्यतः कुछ दक्षिण एशियाई देशों में ही विद्यमान है। यद्यपि सरकार ने इस पर रोक लगाने हेतु कानून बनाए हैं, फिर भी इनके क्रियान्वयन में व्यापक कमी है, और मौतें इस बात का प्रमाण हैं। नई सरकारी रिपोर्ट और स्वतंत्र सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि मैनुअल सफाई करने वालों की संख्या गुलामी की स्थिति की तुलना में और भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। इस समस्या से निपटने के लिए इसके सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इन पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

1. यांत्रिक सफाई (MECHANICAL CLEANING)

नई प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में हुई प्रगति को देखते हुए, सफाई प्रक्रिया का पूर्णतः यंत्रीकरण करना अब कठिन नहीं रह गया है। इसलिए मशीनों के व्यापक क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। साथ ही, इस दिशा में सुचारु एवं सरल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

उदाहरण : आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित 'होमीसेप (HomoSEP)' रोबोट में विशेष रूप से डिजाइन की गई रोटरी ब्लेड प्रणाली का

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उपयोग किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों में जमा कठोर मल-कीचड़ (स्लज) को प्रभावी ढंग से मिलाने और तोड़ने का कार्य करती है।

2. अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन (IMPLEMENTATION OF THE STATUTE)

वर्ष 2013 के अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख चिंता का विषय है। यद्यपि इस अधिनियम में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, फिर भी हमारे अध्ययन से सिद्ध होता है कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर विद्यमान है। अधिनियम में 'सुरक्षात्मक उपकरण (Protective Gear)' और 'सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment)' के उपयोग को तर्कसंगत ठहराया गया है, जो मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य के विपरीत है।

कानून के कमजोर प्रवर्तन के कारण विशेष रूप से सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई में यह अमानवीय प्रथा आज भी जारी है। इस समस्या के समाधान के लिए संशोधित अधिनियम के माध्यम से 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' को वैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इससे आयोग को मैला ढोने की प्रथा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने तथा इस प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करने का अधिकार प्राप्त होगा।

3. सामुदायिक पुनर्वास एवं वैकल्पिक आजीविका (COMMUNITY REHABILITATION AND ALTERNATE OPTIONS)

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए पुनर्वास सम्बन्धी एक सुदृढ़ नीति अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऐसी व्यापक नीतिगत रूपरेखा विकसित की जानी चाहिए, जिसमे पुनर्वास के स्पष्ट मार्ग, पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित हो।

इसके अतिरिक्त, मैला सफाई कर्मियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सके।

स्व-रोजगार योजना (SRMS), 2007 तथा 2013 के अधिनियम की धारा-13 एवं धारा-16 के अन्तर्गत मैला सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान इन्हें बेहतर एवं सम्मानजनक व्यवसाय की ओर स्थानांतरित करना है।

हालांकि, सरकार अब भी उन परिवारों की समुचित पहचान करने में असफल रही है जो इस कार्य में संलग्न हैं। परिणामस्वरूप, पुनर्वास योजनाओं का वास्ततिक लाभ इन समुदायों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता और अधिकांश लाभ केवल सतही स्तर तक ही सीमित यह जाते हैं।

4. आगे का मार्ग

मानव का टैंकों तथा मैला गड्ढ़ों (मैनहोल) में उतारना उसी प्रकार है जैसे- किसी गोल छेद में चौकोर कील ठोकना। यह दृश्य मनुष्य के लिए घृणित, अपमानजनक और अमानवीय है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण व्यक्ति की गरिमा घटती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों में त्वचा रोग, श्वसन सम्बन्धी समस्याएँ, भूख में कमी और उन्हें जीवन-यापन योग्य गुणवत्ता से वंचित कर देती है। मैला-भरे सिर के पैन उठाना उन्हें गंदा बनाता है और समाज में उन्हें सबसे निम्न स्थान पर स्थापित करता है।

संविधान एक प्रमुख सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, लेकिन निरन्तर सामाजिक भेदभाव इसके विपरीत हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के दैनिक जीवन में संवैधानिक सुरक्षा का उल्लघंन जारी है, सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। यद्यपि न्यायालयों ने अनुच्छेद-21 के महत्व पर बल दिया है, जो जीवन की गुणवत्ता के अधिकार की बात करता है, फिर भी राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स के असित्त्व को नकारना सामाजिक विधियों को कमजोर करता है और इस मुद्दे का उपहास उड़ाता है।

शौचालयों का निर्माण, अस्वच्छ शौचालयों का सैनेटरी शौचालयों में परिवर्तन, नैशनल पॉलिसी फॉर मेकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम आदि जैसे अनेक प्रयास इस प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सुधारात्मक कदम हैं। वर्ष 2013 का मुख्य अधिनियम श्रमिकों के लिए प्रमुख सुरक्षा प्रदान करता है और संविधान न्यायालयों के हाथों में एक साधन बनकर इन श्रमिकों को न्याय दिलाने में सहायता करता है। सरकार को तीनों को सामूहिक रूप से और पूरे मनोयोग से मैनुअल स्कैवेंजर्स के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना चाहिए, तथा संविधान में निहित समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. Lalwani V. अन्य देश अपने सीवरों की सफाई कैसे करते हैं और भारत उनसे क्या सीख सकता है? Scroll.in. 2018 Sep 23. Available from: https://scroll.in/article/895013/how-do-other-countries-clean-their-sewers-and-is-there-something-india-can-learn-from-them
2. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Available from: https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/88171674566397.pdf
3. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Available from: https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/88171674566397.pdf
4. Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993. National Portal of India. Available from: https://www.india.gov.in/employment-manual-scavengers-and-construction-dry-latrines-prohibition-act-1993
5. National Commission for Safai Karamcharis. Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). Available from: https://ncsk.nic.in/sites/default/files/SRMSFinalScheme.pdf
6. Lavania D. भारत में पिछले पाँच वर्षों में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 308 लोगों की मृत्यु. The Times of India. 2023 Apr 7. Available from: https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/308-died-while-cleaning-sewers-septic-tanks-in-last-five-years-across-india/articleshow/99311801.cms
7. Press Information Bureau, Government of India. Available from: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1814089
8. Safai Karamchari Andolan v Union of India. (2014) 11 SCC 224; Supreme Court judgment. (2018) 9 SCC 501; Writ

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Petition (Civil) No. 583/2003; Writ Petition (Civil) No. 324/2020.
9. Lok Sabha Committee on Social Justice and Empowerment. Report [Internet]. [cited 2024 Apr 18]. Available from: https://loksabhadocs.nic.in/lsscommittee/Social%20Justice%20%26%20Empowerment/17_Social_Justice_And_Empowerment_46.pdf
10. Press Information Bureau, Government of India. Deaths due to manual cleaning of sewer and septic tanks. Available from: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1806505
11. Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS). Press Information Bureau, Government of India. Available from: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/may/doc202251656401.pdf
12. Human Rights Watch. Cleaning human waste: Manual scavenging, caste, and discrimination in India. 2023 Mar 28. Available from: https://www.hrw.org/report/2014/08/25/cleaning-human-waste/manual-scavenging-caste-and-discrimination-india
13. United Nations Foundation. US leadership on the Sustainable Development Goals (SDGs). Available from: https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals/u-s-leadership-on-the-sdgs/

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 Sarika Singh, Dr. Ishwar Swaroop Sahay. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/